न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 199/2022

अनवान : –

1. योगिता पुत्र सुरेन्द्रपाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सपना पत्नी सुरेन्द्रपाल रणजीत जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– सायला

बनाम्

1. बलराम पुत्र मोमनराम जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. संतोष पत्नी बलराम जाति सुनार निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक रामगढ़ तहसील नेाहर।
5. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 29/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 37/35 की कुल 10.6260 हैक्ट भूमी में 1927/10626 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 व 1307/106260 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो सायला के दादा के नाम है तथा सायला के दादा ने उक्त वाद भूमि में से 1307/106260 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 2 जो की सायला की दादी है के नाम दर्ज करवा दी तथा अब सायला को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहते है यदि गैरसायल स0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण सायला का भी उक्त वाद भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 2 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है जिसे सायला राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 2 अकेले के नाम दर्ज होने से गैरसायल स0 1 ता 2 उक्त वाद भूमि में सायला को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहते है अगर गैरसायल संख्या 1 ता 2 अपने मकसद में कामयाब हो जा[illegible] गैरसायल संख्या 1 ता 2 को अपूर्णीय क्षति होगी अतः गैरसायल संख्या 1 ता 2 को जरिये [illegible] निषेधाज्ञा पाबन्द करवाना चाहता है कि गैरसायल संख्या 1 ता 2 उक्त वाद भूमि को तायफैसला दावा रहन, बैय [illegible]किल न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 37/25 की कुल 10.6260 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 व 2 की स्वयं अर्जित भूमि है तथा गैरसायल संख्या 1 ता 2 वाद भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। गैरसायल संख्या 1 ता 2 की वाद भूमि स्वयं अर्जित होने के कारण सायला का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है सायला द्वारा बहकावे में आकर झुठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो सायला के दादा के नाम है तथा सायला के दादा ने उक्त वाद भूमि में से 1307/106260 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 2 जो की सायला की दादी है के नाम दर्ज करवा दी तथा अब सायला को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहते है यदि गैरसायल स0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 ता 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाना चाहता है कि गैरसायल संख्या 1 ता 2 उक्त वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन, बैय व मुन्तकिल न करे। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 व 2 की स्वयं अर्जित भूमि है तथा गैरसायल संख्या 1 ता 2 वाद भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। गैरसायल संख्या 1 ता 2 की वाद भूमि स्वयं अर्जित होने के कारण सायला का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही हैअतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि गैरसायल संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है तथा उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है। गैरसायल संख्या 1 ने उक्त वाद भूमि में से 1307/106260 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 2 जो की सायला की दादी है के नाम दर्ज करवा दी जिसमें सायला का भी हक हिस्सा है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा वाद भूमि पैतृक के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

22.05.2001 व 24.05.2019 तथा 11.04.2014 के अनुसार उक्त वाद भूमि जरिये बैयनामा गैरसायल संख्या 1 व 2 तथा विमला की खरीद की हुई है तथा वसीयतनामा की चित्रप्रति के अनुसार विमला ने अपनी भूमि की बलराम के पक्ष में वसीयत तहरीर करवाई है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेजों के खंडन में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है उक्त दस्तावेज आदिनाक तक वैध है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित नही होता है जबकि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे सिद्ध नही होता है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध नही होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीया को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीयाके पक्ष में साबित नही होते है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 02.09.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/7/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:29 IST
Reason: SelfAttested